



उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड
पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग) मोथरोवाला रोड
पो००५० मोथरोवाला, देहरादून-२४८००१, दूरभाष-०१३५-२५३२६१९

पत्रांक २४२२-२६ / प्राइवेट ए.आई. कार्य.प्रशि.- (६१) / ६(१.२०) / २०१५-१६ दिनांक ०७ नवम्बर, २०१५
सेवा में,

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद प्रबन्धक यू.एल.डी.बी., उत्तराखण्ड
(हरिद्वार को छोड़कर)
2. निदेशक
महिला डेयरी विकास परियोजना
जाखनदेवी मालरोड, अल्मोड़ा
3. जिला प्रबन्धक
हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना
पुरोला (उत्तरकाशी), गोपेश्वर-चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़,
पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चम्बा-टिहरी एवं देहरादून।
4. समस्त प्रबन्धक / प्रधान प्रबन्धक
दुग्ध संघ उत्तराखण्ड
(हरिद्वार जनपद को छोड़कर)

विषय : स्वरोजगारी प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ६१वां बैंच (वर्ष २०१५-१६)।
महोदय,

आपको अवगत कराना है कि एन.पी.बी.बी. योजना के अंतर्गत स्वरोजगारपरक कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का ०४ माह का अगला प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक २४.११.२०१५ से प्रारम्भ हो रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।
संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(डा. कमल सिंह)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

पत्रांक २४२२-२६ / प्राइवेट ए.आई. कार्य.प्रशि.- (६१) / ६(१.२०) / २०१५-१६ तददिनांक
प्रतिलिपि प्राचार्य, यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक-ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा. कमल सिंह)
मुख्य अधिशासी अधिकारी



उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड
पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग) मोथरोवाला रोड
पो.ओ. मोथरोवाला, देहरादून – 248001
टेलीफैक्स : (0135) 2532619

नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पशुधन साथी (स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं / पैरावेट्स) के प्रशिक्षण हेतु आवेदन एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया

यू.एल.डी.बी. द्वारा ए.आई. प्रशिक्षार्थियों / पैरावेट्स का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके लिए ए.आई. कार्य के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने हेतु इच्छुक ऐसे बेरोजगारों, जिनकी आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो, और उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल (विज्ञान ग्रुप से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को वरीयता) हो, को चार माह का कृत्रिम गर्भाधान कार्य का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जो अपने कार्यक्षेत्र में स्वरोजगारी के रूप में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य ऐसे स्थानों से सम्पन्न करेंगे, जहां पशुपालन विभाग के ए.आई. केन्द्र तथा प्राइवेट ए.आई. कार्यकर्ता पहले से कार्यरत न हो। चार माह के इस प्रशिक्षण का व्यय क्रमशः यू.एल.डी.बी. एवं सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी द्वारा निम्नवत् वहन किया जायेगा :

क. यू.एल.डी.बी. द्वारा – (जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय, बोर्डिंग लाजिंग आदि सम्मिलित होंगे) :-

1. कक्ष प्रशिक्षण – यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक-ऋषिकेश में :

(प्रशिक्षण समापन के दिन को सम्मिलित करते हुये) –

46 दिन

2. कालसी फार्म में व्यवहारिक प्रशिक्षण –

10 दिन

ख. फील्ड प्रशिक्षण –

● राज्य के ऐसे ए.आई. केन्द्रों पर, जहां पर्याप्त ए.आई. हो रही हो, प्रशिक्षार्थियों को **45 दिन** (अलग-अलग 02 कार्यरत ए.आई. केन्द्रों पर क्रमशः 25 एवं 20 दिन) का फील्ड प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके लिये प्रशिक्षार्थियों को यू.एल.डी.बी. से ₹1500.00 फील्ड प्रशिक्षण हेतु गुजारा भत्ता देय होगा। इसमें से ₹1000.00 प्रशिक्षण के लिये प्रस्थान करते समय और ₹500.00 प्रशिक्षण के अंत में सफल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र सम्बन्धित ए.आई. केन्द्रों से लाकर प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध कराने पर दिया जायेगा।

● **19 दिन** का अंतिम फील्ड प्रशिक्षण व्यय प्रशिक्षार्थियों को स्वयं वहन करना होगा, जिसके लिये उन्हे उनके निवास स्थल / प्रस्तावित कार्य स्थल के निकटतम ए.आई. केन्द्र, जहां पर्याप्त ए.आई. हो रही हो, पर भेजा जायेगा।

2. प्रशिक्षणोपरांत उन्हें इस पत्र के प्रस्तर **13** के अनुसार समुचित गांरटी यथा— किसी बीमा कम्पनी से Fidelity Bond देने के आधार पर क्रायोकैन (तरल नत्रजन पात्र) एवं अन्य वांछित ए.आई. उपकरण आदि यू.एल.डी.बी. द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिसके माध्यम से वे तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्रा आदि यू.एल.डी.बी. के माध्यम से प्राप्त करके अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान कार्य संपादित करेंगे।

3. यदि प्रशिक्षार्थी द्वारा ए.आई. कार्य प्रशिक्षणोपरांत प्रारम्भ नहीं किया जाता तो प्रशिक्षण शुल्क की धनराशि उन्हे वापस करना होगा। साथ ही उन्हें उपलब्ध कराये गये उपरोक्त ए.आई. उपकरण/सामान आदि भी यू.एल.डी.बी. को वापस करना होगा और यह उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। ऐसी स्थिति में कुमायूं क्षेत्र की सामान वापसी सीमेन बैंक लालकुंआ (नैनीताल) में तथा गढ़वाल क्षेत्र की सामान वापसी सीमेन बैंक श्यामपुर (ऋषिकेश) में की जायेगी।

4. प्रशिक्षणोपरांत ऐसे उपसा ए.आई. कर्ताओं को देय मानदेय के एवज में ‘प्राइवेट ए.आई. कर्ताओं को सहायता मद’ से गाय/भैंस के 160 फोजन सीमेन स्ट्रा तथा 12 महीने तक तरल नत्रजन व अन्य ए.आई. इनपुट्स निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि उनके द्वारा कृत ए.आई. कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे और वांछित सूचनाएं/एम.पी.आर. आदि यू.एल.डी.बी. को समय से उपलब्ध होती रहें, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ए.आई. कर्ता के ए.आई. कार्यों की समीक्षा/आंकलन करके उसे अगले/आगामी माह/महीनों में वांछित इनपुट्स उपलब्ध कराये जायेंगे।

5. एक वर्ष बाद उन्हें यह सामग्री यू.एल.डी.बी. को भुगतान देकर प्राप्त करना होगा क्योंकि एक वर्ष की अवधि में सम्बन्धित उपसा ए.आई.कर्ता अपने क्षेत्र में ए.आई. कार्य का पूर्णतः प्रचार-प्रसार कर लेगा और क्षेत्र/पशुपालकों से

भिज्ञ/परिवित भी हो जायगा, फलस्वरूप उसका कार्य बढ़ेगा/बढ़ने लगेगा और उसे सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।

6. सभी उपसा ए.आई. कर्ता/पैरावेट प्रारम्भ से ही अपने एवं पशुपालक के मध्य आपसी सहमति से तय की गई ए.आई शुल्क की धनराशि को वसूल करके अपने पास रख सकेंगे, जो उनके जीविकोपार्जन का संसाधन होगा।

7. इन पैरावेट/ए.आई. कर्ताओं का मुख्य कार्य स्थल मोटर मार्ग (रोडहेड) पर होना नितान्त आवश्यक है, जिससे उन्हे यू.एल.डी.बी. के सचल तरल नत्रजन वाहन से नियमित रूप से प्रत्येक माह तरल नत्रजन, फोजेन सीमेन स्ट्रा एवं अन्य ए.आई. उपकरणों की आपूर्ति सम्भव हो सके।

8. दुग्ध समितियों/महिला डेरी समितियों के प्रशिक्षार्थी भी ऐसी समिति में अपना मुख्यालय बनायेंगे, जो पक्की सड़क (मोटर मार्ग) पर स्थित हो, जिससे वहां तरल नत्रजन, सीमेन स्ट्रा एवं अन्य ए.आई. इनपुट्स की आपूर्ति सुगमता से हो सके।

9. यह भी सुस्पष्ट करना है कि ऐसे प्रशिक्षार्थी यू.एल.डी.बी. की ओर से स्वरोजगारी उत्तराखण्ड पशुधन साथी (उपसा) के रूप में प्रशिक्षित किये जायेंगे और उसी रूप में अपना कार्य भी सम्पादित करेंगे। वे यू.एल.डी.बी. अथवा पशुपालन विभाग के कर्मचारी नहीं होंगे, न ही वे कभी ऐसा क्लेम करने के अधिकारी होंगे।

10. सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी तथा सम्बन्धित आग्रसारण अधिकारी अपने स्तर पर यह भी सुनिश्चित कर लें कि एक ए.आई. कर्ता के रूप में उनके कार्य क्षेत्र में कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में 750 एवं मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000 तक प्रजनन योग्य पशु (Breedable Cattle and Buffalo) अवश्य हों।

11. यू.एल.डी.बी. द्वारा ग्रामीण स्तर से उपसा प्रशिक्षार्थीयों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान /पशुचिकित्साधिकारी एवं जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से संस्तुत/अग्रसारित करवाकर यू.एल.डी.बी. को भेजा जायेगा।

12. यदि किसी गांव/समिति से एक ही कार्यस्थल के लिये दो अथवा अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (हाईस्कूल) की मैरिट/आयु आदि के आधार पर उनमें से एक ही आवेदन पत्र को स्वीकार करने तथा शेष को अस्वीकार करने का अधिकार यू.एल.डी.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।

13. सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी को उपसा ए.आई.कर्ता/पैरावेट के रूप में अपने सहभागी अंशदान (Participatory Contribution) के रूप में ₹2,000 प्रशिक्षण में आने पर प्राचार्य यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्देशित बैंक में यू.एल.डी.बी. के खाते में जमा करना होगा अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा उक्त धनराशि प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य को उपलब्ध कराना होगा, जो वापस नहीं (नान रिफन्डेबुल) होगा।

14. प्रशिक्षणोपरांत उन्हें लगभग ₹30,000 का क्रायोकैन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा ए.आई गन आदि जो उपलब्ध कराया जायेगा, के समक्ष ₹100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र (एम.ओ.यू.) भरना/करना होगा तथा दिये गए इन्फ्रास्ट्रक्चर के मूल्य के समतुल्य धनराशि की समुचित गारंटी यथा—Insurance Company का Fidelity Bond यू.एल.डी.बी. को देना होगा। इसका शुल्क सम्बन्धित Insurance Company को उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा।

15. प्रशिक्षणोपरांत ऐसे सभी ए.आई.कार्यकर्ता को यू.एल.डी.बी. के साथ भी अपने को पंजीकृत कराना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹100.00 (यू.एल.डी.बी. को देहरादून में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा) सम्बन्धित ए.आई.कर्ता को वहन करना होगा।

16. ऐसे प्रशिक्षित ए.आई.कार्यकर्ताओं/पैरावेट्स को उत्तराखण्ड पशुधन साथी (उपसा) कहा जायेगा, और वे अपने क्षेत्र में लाभार्थीयों/पशुपालकों के सच्चे हितेशी/मित्र एवं स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे।

17. उपसा आवेदक आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप पर अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, मूल/पत्राचार का पता आदि सहित अपना संपूर्ण विवरण/पूर्ण बायोडेटा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार यू.एल.डी.बी. को डाक/कोरियर/विशेष पत्रावाहक/फैक्स द्वारा स्वयं उपलब्ध करायेंगे।

18. “प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार” पर प्राप्त आवेदनों में से प्रशिक्षार्थीयों को प्रशिक्षण में भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, इसलिए कृपया वांछित आवेदन पत्र शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक : यथोपरि।

(डा० कमल सिंह)
मुख्य अधिशासी अधिकारी



उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड
पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग) मोथरोवाला रोड
पो.ओ. मोथरोवाला, देहरादून –248001
टेलीफैक्स : (0135) 2532619

**नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग के अन्तर्गत
स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के प्रशिक्षण में चयन हेतु आवेदन पत्र**

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. मूल निवास का पता— ग्राम/समिति :
पो.आ..... विकासखण्ड.....
जनपद : पिन कोड :
5. पत्राचार का पता— ग्राम/समिति :
पो.आ..... विकासखण्ड.....
जनपद : पिन कोड :
6. सम्पर्क हेतु दूरभाष/मोबाइल नम्बर :
7. शैक्षिक योग्यता :

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम फोटो

क्र.सं.	शैक्षिक योग्यता	संस्था/कालेज विश्वविद्यालय का नाम	विषय	श्रेणी	प्रतिशत
1					
2					
3					
4					

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएं सत्य हैं। मैं ₹2000/- अप्रतिदेय (नान रिफन्डेबुल) सहभागी अंशदान के रूप में जमाकर स्वेच्छा से स्वरोजगार सृजन हेतु चार माह का गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान विषयक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता / चाहती हूँ तथा प्राइवेट ए.आई. कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण करने हेतु प्रशिक्षण के उपरान्त यू.एल.डी.बी. के पक्ष में ₹100 रुपये का बैंक ड्राफट एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु क्रायोकेन इत्यादि प्राप्त करने हेतु एक सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने तथा क्रायोकेन आदि की गारन्टी हेतु फिलिटी बान्ड / बीमा पालसी देने के लिये सहमत / तत्पर हूँ।

दिनांक :

संलग्न :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

1. शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति
2. मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति

चयन समिति की आव्याव व मोहर सहित हस्ताक्षर

1. आवेदक गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान विषयक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य है, अतएव उसे चार माह का यह प्रशिक्षण देने की संस्तुति की जाती है।
2. प्रशिक्षण उपरान्त आवेदक को(स्थान का नाम) में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करने हेतु इनपुटस वितरण की संस्तुति की जाती है क्योंकि इस स्थान के पांच किलोमीटर की दूरी तक एन.पी.सी.बी.बी. योजना की कोई कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थान तक वाहन जाने हेतु पक्का मार्ग उपलब्ध है तथा स्थान उत्तराखण्ड राज्य में ही स्थित है और उक्त स्थल तक वाहन जाने—आने हेतु प्रदेश की सीमा पार नहीं करनी होगी।

(ग्राम प्रधान)

(पशु चिकित्साधिकारी)

(मुख्य पशुचिकित्साधिकारी)